कृषि विज्ञान केन्द्र, काशीपुर
बाजपुर रोड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर–244713

पत्रांकः 48 दिनांक 7/7/21

नीलामी सूचना

केन्द्र के प्रक्षेत्र पर नवनिर्मित मत्स्य तालाब (कुल क्षेत्रफल 1.0 हे0) को लाइसेंस शुल्क के आधार पर पर तीन वर्ष यथा दि0 01.08.2021 से दि0 31.07.2024 तक के लिए दिए जाने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें एंव प्रतिबंध निम्नलिखित हैं।

1.	निविदा प्रपत्र की बिकी की तिथि	:	निविदा प्रपत्र 15.07.2021 से 20.07.2021 के अपरान्ह 1.0 बजे तक केन्द्र के कार्यालय से नगद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते हैं।
2.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	रु. 500+GST @ 12% कुल रु. 560.00 (नान रिफंडेबल)
3.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	दिनांक 20.07.2021 के अपरान्ह 1.0 बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांक 20.07.2021 के अपरान्ह 3.0 बजे
5.	निविदा खोलने का स्थान	:	कृषि विज्ञान केन्द्र, काशीपुर प्रशासनिक भवन

शर्तें एंव प्रतिबन्ध

1. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाताओं द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने के लिए क्वालीफाइंग धनराशि रु. 20,000.00 नगद रुप से निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित समय यथा दिनांक 20.07.2021 अपरान्ह 1.0 बजे तक प्रभारी अधिकारी कार्यालय में जमा होना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र कृषि विज्ञान केन्द्र, काशीपुर में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। क्वालिफांइग धनराशि के अभाव में निविदादाता को नीलामी में प्रतिभाग करने का अधिकार नहीं होगा। निविदाओ को दिनांक दि0 20.07.2021 के अपरान्ह् 3:00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी।
3. सफल निविदादाता की क्वालीफाइंग धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा इस पर सफल निविदादाता को काई आपत्ति नहीं होगी। असफल निविदादाताओं की क्वालीफाइंग धनराशि उसी समय वापस कर दी जायेगी।
4. ठेके की सम्पूर्ण धनराशि को 02 किस्त में जमा करना होगा। प्रथम किस्त का भुगतान अनुबन्ध के समय नगद तथा द्वितीय किस्त अनुबन्ध की तिथि से से ठीक 01 वर्ष 06 माह बाद संबंधित लाइसेंस निविदादाता द्वारा करना होगा।
5. उक्त द्वितीय किस्त की धनराशि के भुगतान हेतु पी0डी0सी0 चैक (पोस्ट डेटेड चैक) निविदादाता द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0डी0सी0 चैक किसी भी कारण से बाउंस होने पर निविदा की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा तथा निविदादाता के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। लाईसेंस शुल्कदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक किस्त की धनराशि किसी भी कारण से जमा नहीं कराये जाने की दशा में कुलपति, गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, पन्तनगर का निर्णय अन्तिम होगा।
6. उच्चतम निविदादाता को 10 प्रतिशत धनराशि सुरक्षा धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रुप में RF KVK, Kashipur के पक्ष में कृषि विज्ञान केन्द्र, काशीपुर कार्यालय में अलग से जमा करनी होगी, जो प्रथम किस्त के साथ जमा होगी।
7. मछली तालाब की निविदा की अवधि दि0 01.08.2021 से 31.07.2024 तक की होगी। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अनुबंध करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र पर भी अवगत कराया जायेगा।
8. सम्बंधित ठेकेदार को तालाब में पानी भरने एंव निकासी इत्यादि की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
9. मछली तालाब की सुरक्षा ठेकेदार को स्वंय करनी होगी, किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में कृषि विज्ञान केन्द्र, काशीपुर उत्तरदायी नहीं होगा।
10. संबंधित निविदादाता को अपने खर्च पर रु 100.00 नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा तथा दोनो पक्षों के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात् किये गये अनुबंध को निविदादाता द्वारा पंजिकृत कराया जाना होगा।
11. तालाब की मछली बिकी पर यदि किसी भी प्रकार की कर देयता होने पर निविदादाता द्वारा ही जमा कराया जाना होगा।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कुलपति, गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, पन्तनगर में निहित होगा। इसके साथ ही संबंधित निविदा अथवा अनुबंध को बिना किसी कारण बिना किसी पूर्व सूचना दिये हुये निरस्त किये जाने का भी अधिकार कुलपति, गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, पन्तनगर का होगा, जो कि दोनो पक्षों को स्वीकार होगा।
13. उक्त समस्त शर्तो का कड़ाई से अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(जितेन्द्र क्वात्रा)
प्रभारी अधिकारी

कार्यालय प्रभारी अधिकारी
कृषि विज्ञान केन्द्र, काशीपुर
पत्र प्राप्ति संख्या..............